E-mail

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

संख्या–V / एम.1–417 / 2015...4021.... / श्री विनोद कुमार झा, अधीक्षक उत्पाद जहानाबाद के विरूद्व कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण उत्पाद राजस्व की क्षति पहुँचाना, नियमों के प्रतिकूल कार्य करना, आदेश का पालन नहीं करना, अनुशासनहीनता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 का उल्लंघन करना आदि आरोप के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–1240 दिनांक–04.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (Viii) के तहत् श्री विनोद कुमार झा, अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद को सेवा निवृति की तिथि तक निम्नतर कोटि पद यानी निरीक्षक उत्पाद (वेतनमान् पी.बी.2 रू. 9300–34800+ ग्रेड पे रू. 4200 / –) के पद पर अवनत करने का दंड विभागीय अधिसूचना सं0–2716 दिनांक–23.06.17 द्वारा संसूचित किया गया है।

(2) उक्त दंड के विरूद्व श्री झा द्वारा पुनर्विचार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री झा द्वारा दायर पुवर्विलोकन याचिका का समीक्षा की गयी। पुनर्विलोकन याचिका में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ही इनके द्वारा अन्य जिलों के पदाधिकारियों पर दोषारोपन किया गया है। नीलाम पत्र वाद दायर कर देना राजस्व क्षति की भरपाई की दिशा में किया गया कार्रवाई मात्र है। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि इनके द्वारा उत्पाद नियमों के उल्लंघन किए जाने से राजस्व क्षति हुई है। अतः प्रमाणित आरोंपो एवं पुनर्विलोकन अर्जी में आरोपो को अप्रमाणित करने हेतु ठोस एवं स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में इनका पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

(3) उक्त के आलोक में बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (Viii) के तहत् निम्नतर कोटि पद यानी निरीक्षक उत्पाद के पद पर अवनत करने के अधिरोपित दंड के विरूद्व श्री झा द्वारा दायर पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

(11) इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15/09/17

(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– V / एम.1–417 / 2015...4021.... / पटना, दिनांकः–...18.09.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/09/17

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– V/एम.1–417/2015.....4021..../   पटना, दिनांकः–...18.09.17

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 /आई0टी0 मैनेजर एवं श्री विनोद कुमार झा तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद संम्प्रति निरीक्षक उत्पाद कटिहार को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/09/17

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।